भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4216
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

4216. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आज की तिथि तक सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में 01 अगस्त, 2024 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय/टिप्पणी के संबंध में कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य (सिविल अपील संख्या 2317/2011) और इससे जुड़े मामलों में 1 अगस्त, 2024 को दिए गए अपने निर्णय में कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है। सरकार ने निर्णय की विषय-वस्तु पर गौर किया है और कोई कदम उठाने पर विचार नहीं किया है।

****